HC-1(10)/2023-Vig./978

Government of India
Ministry of Textiles
Office of the Development Commissioner (Handicrafts)
(Vigilance Section)

Craft Complex, Plot No. 8,
Nelson Mandela Marg, Pocket- 4,
Vasant Kunj, New Delhi- 110070.
Dated: 20.03.2025

ORDER

WHEREAS, M/s Shree Ram Krishna Jan Shiksha Samiti, District-Bhopal, Madhya Pradesh (MP/2017/0119540) had received grant-in-aid for implementing One Design & Technology Development Workshop (DDW) for one month period vide Sanction Order J-12012/2/35 (109)/2021-22/SDHS/WR/SC dated 17.12.2021 in Embroidery & Crocheted Goods Craft at Ahmedpur, District- Latur, Maharashtra for benefit of 30 SC Category artisans under Skill Development in Handicraft Sector (SDHS). An amount of ₹ 4,27,193/- was sanctioned, and the 1st instalment of ₹ 2,13,597/- was released to the organisation for conducting the programme.

WHEREAS, the organisation conducted Design & Technology Development Workshop from 08.02.2022 to 07.03.2022 at Ahmedpur, District- Latur, Maharashtra. Sh. Vinay M Gorde, the assigned Designer for the DDW, was present for only seven days during the workshop conducted by M/s Shree Ram Krishna Jan Shiksha Samiti, Bhopal. However, the organization failed to inform the office about Designer's absence and falsely claimed the full payment for Designer in its reimbursement documents.

WHEREAS, M/s Shree Ram Krishna Jan Shiksha Samiti, District-Bhopal, Madhya Pradesh (MP/2017/0119540) has clearly violated Development Commissioner (Handicrafts) scheme guidelines while implementing the Design & Technology Development Workshop (DDW) and has attempted to mislead the office by submitting false reimbursement documents.

Contd. P(2)

HC-1(10)/2023-Vig

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय
(सतर्कता अनुभाग)

इंटरनेशनल क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 8,
नेल्सन मंडेला मार्ग, पॉकेट-4,
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
दिनांकः 20.03.2025

आ दे श

मैसर्स श्री राम कृष्णा जन शिक्षा समिति, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश (MP/20217/0119540) को हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास (एसडीएचएस) के अंतर्गत 30 अनुसूचित जाति श्रेणी के हस्तशिल्पियों के लाभ हेतु अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र में कशीदाकारी एवं क्रोशिए वस्तुएं शिल्प में स्वीकृति आदेश सं. J-12012/2/35(109)/2021-22/SDHS/WR/SC दिनांक 17.12.2021 के तहत एक महीने की अवधि के लिए एक डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के आयोजन हेतु संगठन को ₹4,27,193/- की राशि स्वीकृत की गई और उक्त कार्यक्रम के लिए पहली किस्त के रूप में ₹2,13,597/- की राशि जारी की गई।

चूंकि, संगठन ने दिनांक 08.02.2022 से 07.03.2022 तक अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र में डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला का आयोजन किया। मैसर्स श्री राम कृष्णा जन शिक्षा समिति, भोपाल द्वारा आयोजित कार्यशाला के दौरान डीडीडब्ल्यू हेतु नियुक्त डिजाइनर, श्री विनय एम गोर्डे केवल 7 दिन ही उपस्थित थे। तथापि, संगठन ने डिजाइनर की उपस्थिति के बारे में इस कार्यालय को सूचित नहीं किया और अपने प्रतिपूर्ति दस्तावेज़ों में डिजाइनर के लिए पूर्ण भुगतान का झूठा दावा किया है।

चूंकि, मैसर्स श्री राम कृष्णा जन शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश (MP/20217/0119540) ने डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला (डीडीडब्ल्यू) के कार्यान्वयन के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) योजना के दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन किया है तथा गलत प्रतिपूर्ति दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कार्यालय को धोखा देने का प्रयास किया है।

जारी. पृ(2)

NOW THEREFORE, after the Competent Authority carefully examined the case, It has been decided that M/s Shree Ram Krishna Jan Shiksha Samiti, District- Bhopal, Madhya Pradesh (MP/2017/0119540) is hereby blacklisted from receiving further grants from the Ministry of Textiles, Government of India until further orders.

This issued with the approval of Development Commissioner (Handicrafts).

20.08.2025

(Shailesh Singh)
Assistant Director (Vig.)

To,

Shri Bhagvandas Yadav,
President,
M/s Shree Ram Krishna Jan Shiksha Samiti, District- Bhopal, Madhya Pradesh.

Copy To,

1. The Sr. Accounts Officer, CP&AO, O/o DC (Handicrafts), New Delhi.
2. The Deputy Director (B&A), Office of the DC (Handicrafts), Hqrs office New Delhi.
3. The Accounts Officer, Office of the DC (Handicrafts), Hqrs office New Delhi.
4. All Regional Directors/Deputy Director (In-charge) Office of DC(Handicrafts)-NRO-New Delhi, CRO-Lucknow, SRO-Chennai, NERO-Guwahati, WRO-Mumbai, ERO-Kolkata for further necessary action and with a request to onward transmission to all the HSCs under their jurisdiction.
5. All Sectional Heads of the Grants-in-Aid Divisions of O/o DC(Handicrafts), Hqrs, New Delhi-Cluster, Design, MSS, SDHS-Trng, Mega Cluster, Infrastructure, R&D, Welfare, TFC for information and necessary action.
6. The Assistant Director (Portal)/SDHS-Trng, O/o DC(Handicrafts), New Delhi for further necessary action and with a request to upload the order in the NITI Aayog Portal and include it in the list of blacklisted agencies on NGO DARPAN Portal.
7. PA to DC(H)/ PS to Director(H)/ PPS to JDC(H).
8. Guard File

अतः अब, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात, यह निर्णय लिया गया कि मैसर्स श्री राम कृष्णा जन शिक्षा समिति, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश (MP/20217/0119540) को आगामी आदेशों तक वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से आगामी अनुदान प्राप्त करने से ब्लैकलिस्ट किया जाता है।

यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

20.03.2025

(शैलेष सिंह)

सहायक निदेशक (सतर्कता)

सेवा में,

श्री भगवानदास यादव, अध्यक्ष,

मैसर्स श्री राम कृष्णा जन शिक्षा समिति, जिला- भोपाल, मध्य प्रदेश।

प्रतिलिपिः

1. वरि. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली।
2. उप निदेशक (बजट एवं लेखा), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली।
3. लेखा अधिकारी, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली।
4. सभी क्षेत्रीय निदेशक/उप निदेशक (प्रभारी) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी हस्तशिल्प सेवा केन्द्रों को अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ।
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, मुख्यालय, नई दिल्ली के सहायता अनुदान प्रभागों के सभी अनुभाग प्रमुख, कलस्टर, डिजाइन, विपणन सेवाएं एवं सहायता, हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास-प्रशिक्षण, मेगा कलस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान एवं विकास, कल्याण, टीएफसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. सहायक निदेशक (पोर्टल)/ हस्तशिल्प कौशल विकास-प्रशिक्षण, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई और नीति आयोग पोर्टल में आदेश को अपलोड करने के अनुरोध के साथ तथा इसे एनजीओ दर्पण पोर्टल पर ब्लैकलिस्टेड सूची में शामिल करने हेतु।
7. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)/निदेशक (हस्तशिल्प)/संयुक्त विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक।
8. गार्ड फाइल।

HC-1/26/2024-Vig./991

Government of India
Ministry of Textiles
Office of the Development Commissioner (Handicrafts)
(Vigilance Section)

Craft Complex, Plot No. 8,
Nelson Mandela Marg, Pocket- 4,
Vasant Kunj, New Delhi- 110070.
Dated: 20.03.2025

ORDER

WHEREAS, M/s Krishi Vikas Avam Manav Kalyan Sansthan, District-Pratapgarh, Uttar Pradesh had received grant-in-aid for organising One Improved Toolkit Distribution Programme vide Sanction Order S-12012/2/4/239/2022-23-WR/GEN dated 08.08.2022 in Hand Embroidery Craft at District- Datia, Madhya Pradesh for benefit of 50 Open Category artisans under National Handicrafts Development Programme (NHDP)- Skill Development in Handicraft Sector (SDHS). An amount of ₹ 5,15,000/- was sanctioned, and the 1st instalment of ₹ 2,57,500/- was released to the organisation for conducting the programme.

WHEREAS, the organisation falsely claimed in its reimbursement documents that 50 sets of toolkits including sewing machine with foot-pedals, were distributed to the beneficiary artisans. However, upon examination of the case, it has come to light that non-foot-pedal sewing machines were distributed during the event, and three artisans have certified that toolkits sets were not distributed to them.

WHEREAS, M/s Krishi Vikas Avam Manav Kalyan Sanshtan, Pratapgarh, Uttar Pradesh has clearly violated Development Commissioner (Handicrafts) scheme guidelines while implementing the Improved Toolkits Distribution Programme and attempted to mislead the office by submitting a false reimbursement document.

Contd. P(2)

HC-1/26/2024-Vig

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

(सतर्कता अनुभाग)

इंटरनेशनल क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 8,
नेल्सन मंडेला मार्ग, पॉकेट-4,
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
दिनांकः 20.03.2025.

आ दे श

मैसर्स कृषि विकास एवं मानव कल्याण संस्थान, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास (एसडीएचएस) घटक के अंतर्गत ओपन श्रेणी के 50 हस्तशिल्पियों के लाभ हेतु मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हस्त कशीदाकारी शिल्प में स्वीकृति आदेश सं. S-12012/2/4/239/2022-23-WR/GEN दिनांक 08.08.2022 के तहत एक उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के आयोजन हेतु संगठन को ₹5,15,000/- की राशि स्वीकृत की गई और उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रथम किश्त के रूप में रुपए ₹2,57,500/- रुपए की राशि जारी की गई।

चूंकि, संगठन ने अपने प्रतिपूर्ति दस्तावेजों में झूठा दावा किया है कि लाभार्थी कारीगरों को फुट पेडल वाली सिलाई मशीन सहित 50 टूलकिट सेट वितरित किए गए। तथापि, मामले की जांच के उपरांत, यह पाया गया कि उक्त कार्यक्रम के दौरान बिना फुट पेडल वाली सिलाई मशीन का वितरण किया गया और तीन कारीगरों ने प्रमाणित किया है कि उनको टूलकिट सेट का वितरण नहीं किया गया।

चूंकि, मैसर्स कृषि विकास एवं मानव कल्याण संस्थान, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ने उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के योजना के दिशानिर्देशों का सीधा उल्लंघन किया है और गलत प्रतिपूर्ति दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कार्यालय को धोखा देने का प्रयास किया है।

अतः अब, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात, यह निर्णय लिया गया कि मैसर्स कृषि विकास एवं मानव कल्याण संस्थान, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को आगामी आदेशों तक वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से आगामी अनुदान प्राप्त करने से ब्लैकलिस्ट किया जाता है।

जारी. पृ(2)

NOW THEREFORE, after the Competent Authority carefully examined the case, It has been decided that M/s Krishi Vikas Avam Manav Kalyan Sansthan, Pratapgarh, Uttar Pradesh is hereby blacklisted from receiving further grants from the Ministry of Textiles, Government of India until further orders.

This issued with the approval of Development Commissioner (Handicrafts).

20.03.2025

(Shailesh Singh)
Assistant Director (Vig.)

To,

Shri Jitendra Pratap Singh,
President,
M/s Krishi Vikas Avam Manav Kalyan Sansthan, Pratapgarh, Uttar Pradesh.

Copy To,

1. The Sr. Accounts Officer, CP&AO, O/o DC (Handicrafts), New Delhi.
2. The Deputy Director (B&A), Office of the DC (Handicrafts), Hqrs office New Delhi.
3. The Accounts Officer, Office of the DC (Handicrafts), Hqrs office New Delhi.
4. All Regional Directors/Deputy Director (In-charge) Office of DC(Handicrafts)-NRO-New Delhi, CRO-Lucknow, SRO-Chennai, NERO-Guwahati, WRO-Mumbai, ERO-Kolkata for further necessary action and with a request to onward transmission to all the HSCs under their jurisdiction.
5. All Sectional Heads of the Grants-in-Aid Divisions of O/o DC(Handicrafts), Hqrs, New Delhi-Cluster, Design, MSS, SDHS-Trng, Mega Cluster, Infrastructure, R&D, Welfare, TFC for information and necessary action.
6. The Assistant Director (Portal)/SDHS-Trng, O/o DC(Handicrafts), New Delhi for further necessary action and with a request to upload the order in the NITI Aayog Portal and include it in the list of blacklisted agencies on NGO DARPAN Portal.
7. PA to DC(H)/ PS to Director(H)/ PPS to JDC(H).
8. Guard File

<u>यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।</u>

20.03.2025

(शैलेष सिंह)
सहायक निदेशक (सतर्कता)

सेवा में,

श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह,
अध्यक्ष,
मैसर्स कृषि विकास एवं मानव कल्याण संस्थान, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः

1. वरि. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली।
2. उप निदेशक (बजट एवं लेखा), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली।
3. लेखा अधिकारी, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली।
4. सभी क्षेत्रीय निदेशक/उप निदेशक (प्रभारी) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता को आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी हस्तशिल्प सेवा केन्द्रों को अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ।
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, मुख्यालय, नई दिल्ली के सहायता अनुदान प्रभागों के सभी अनुभाग प्रमुख, कलस्टर, डिजाइन, विपणन सेवाएं एवं सहायता, हस्तशिल्प कौशल विकास-प्रशिक्षण, मेगा कलस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान एवं विकास, कल्याण, टीएफसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. सहायक निदेशक (पोर्टल)/ हस्तशिल्प कौशल विकास-प्रशिक्षण, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई और नीति आयोग पोर्टल में आदेश को अपलोड करने के अनुरोध के साथ तथा इसे एनजीओ दर्पण पोर्टल पर ब्लैकलिस्टेड सूची में शामिल करने हेतु।
7. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)/निदेशक (हस्तशिल्प)/संयुक्त विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक।
8. गार्ड फाइल।